न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 306 / 2023

वाद बाबत घोषणा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. हजारी राम
2. कृष्णलाल
3. नंदराम

} पि0 गोरधन जाति रामरत बावरी निवासीगण मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल चक 20 एचएमएच रामसरा नारायण तह. व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

———वादीगण

बनाम

1. केसरी उर्फ केशर पुत्री आदुराम पत्नी जगरूप जाति बावरी निवासी मोजण्ड सिखान हाल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गंगाजल पुत्र बन्ताराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जमना पुत्री बन्ताराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तीजोदेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी निराणाराम जाति बावरी निवासी 5 एसएलडी शेरपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (राज.)
5. पालादेवी पुत्री आदुराम पत्नी दलीप कुमार निवासी मोरजण्डसिखान हाल नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. बख्तावरी पत्नी आदुराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. बादुदेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी पूराराम जाति बावरी निवासी अमरपुरा जाटान माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. रेशमी पुत्री सुगनादेवी पत्नी खिराजराम जाति बावरी निवासी 5 डीडी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. राधादेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी बलदेवराम जाति बावरी निवासी 5 एसएलडी शेरपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (राज.)
10. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rak...
Meena
Date: 2024.04.26 11:29
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्तागण :—

1. श्री सुभाष लिम्बा —वकील वादीगण
2. श्री संतोष गोदारा—वकील प्रति.सं. 1ता9

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय

दिनांक :–2-5-24

वादीगण हजारीराम वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 27.06.2023 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संगरिया तहसील के चक नं. 10 एम.जे.डी. के खाता सं. 85/8 संवत 2070–73 जमाबन्दी वर्ष 2078 (2022) में विरासतन कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण चक 10 एम.जे.डी. के उक्त वर्णित कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 अपना अपना हक व हिस्सा वादीगण को ब.हि.ब. की दर से परित्याग कर रही है। कृषि भूमि का विवरण निम्नाकित है :–

चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85/8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/177	16	24/0.253 बारानी–1, 25/0.253 बारानी–1
		कुल 0.506 बारानी–1
147/176	6	24/0.2020 बारानी–1
		कुल 0.2020 बारानी–1
147/177	17	4,7,8,9,12,13,18,19,20,21,22/0.253 बारानी–1
		प्रत्येक कुल 2.7830 है. बारानी–1

इस प्रकार समस्त खाता का योग (कुल खसरे 14) 3.4910 है. बारानी–1 कृषि भूमि। प्रतिवादी सं. 1 व 5 वादीगण की सगी भानजी है। प्रतिवादी सं. 4, 7, 8 व 9 वादीगण की बुआ है। प्रतिवादी सं. 2, 3 व 6 वादीगण की बुआ के पुत्र–पुत्री तथा बुआ की पुत्रवधु है। जिन्होने वादीगण के पक्ष में अपना–अपना हक व हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक परित्याग कर दिया है। जिसमें अब प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 का कोई हक–हिस्सा शेष नही रहा है। अर्थात उक्त राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर के हिसाब से दर्ज किया जाकर उनका नाम विलोपित किया जावे। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को पृथक–पृथक उक्त वर्णित कृषि भूमि उनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित उनके हक एवं हिस्से की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा संयुक्त खाते से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर उनके हक एवं हिस्से की वादीगण के पक्ष में परित्याग की गई कृषि भूमि का बराबर–बराबर की दर से वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का आग्रह किया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इस न्यायोचित निवेदन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:3
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अस्वीकार कर दिया और शीघ्र ही उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है अतः यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति सं. 1 ता 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 10 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की इस्तदुआ की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता पाठ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85/8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 की प्रति पेश की। साक्ष्य वादी में वादी हजारीराम का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 5 वादीगण की सगी मानजी है। प्रतिवादी सं. 4, 7, 8 व 9 वादीगण की बुआ है। प्रतिवादी सं. 2, 3 व 6 वादीगण की बुआ के पुत्र–पुत्री तथा बुआ की पुत्रवधु है। जिन्होंने वादीगण के पक्ष में अपना–अपना हक व हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक परित्याग कर दिया है। जिसमें अब प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 का कोई हक–हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित हैं। साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85/8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश हुई। सहमति का जवाब दावा प्रति.सं. 1 ता 9 ने पेश किया, कोई विरोध नही है। मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1 ता 9 के अभिभाषक ने जवाबदावा अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85/8 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। प्रति.सं. 1 ता 9 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Meena
Date: 2024.04.26 11:
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85/8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त खाता से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 का नाम कलमजन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय प्रकट दिनांक 2.4.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:29:32
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 306 / 2023

1. हजारी राम
2. कृष्णलाल
3. नंदराम

} पि0 गोरधन जाति समस्त बावरी निवासीगण मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल चक 20 एचएमएच रामसरा नारायण तह. व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–––वादीगण

बनाम

1. केसरी उर्फ केशर पुत्री आदुराम पत्नी जगरूप जाति बावरी निवासी मोजण्ड सिखान हाल हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गंगाजल पुत्र बन्ताराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जमना पुत्री बन्ताराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तीजोदेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी निराणाराम जाति बावरी निवासी 5 एसएलडी शेरपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (राज.)
5. पालादेवी पुत्री आदुराम पत्नी दलीप कुमार निवासी मोरजण्डसिखान हाल नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. बख्तावरी पत्नी आदुराम जाति बावरी निवासी सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. बादुदेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी पूराराम जाति बावरी निवासी अमरपुरा जाटान माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. रेशमी पुत्री सुगनादेवी पत्नी खिराजराम जाति बावरी निवासी 5 डीडी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. राधादेवी पुत्री सुगनादेवी पत्नी बलदेवराम जाति बावरी निवासी 5 एसएलडी शेरपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (राज.)
10. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

Signature Not Veri
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.04.26 11:29
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 2[illegible]

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष लिम्बा वकील वादीगण मिन जानिब मुदई व श्री सतोष कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब [illegible] मुदई व श्री सतोष कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब [illegible] दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक नं. 10 एम.जे.डी. खाता सं. 85 / 8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

घोषित किये जाकर उक्त खाता से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :—यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ निल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.4.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:32
Reason: SelfAttested